

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1993]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 9, 2016/श्रावण 18, 1938

No. 1993]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 9, 2016/SRAVANA 18, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2016

का.आ. 2670(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 की उप-धारा (1ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में का.आ. 1281 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना का निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना के, पैरा 5 के, खंड (1) में, उपखंड (ग) और (घ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(ग) चार्टर्ड एकाउंटेंट या कम्पनी सचिवों या लागत लेखाकारों अथवा अधिवक्ताओं की कोई फर्म, यदि उसे स्थायी लेखा संख्यांक आबंटित किया गया है; या

(घ) कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट या कम्पनी सचिव या लागत लेखाकार अथवा अधिवक्ता या कर विवरणी तैयार कर्ता, यदि उसे स्थायी लेखा संख्यांक आबंटित किया गया है; या"

[अधिसूचना सं. 66/2016/फा. सं. 133/89/2015-टीपीएल]

डॉ. टी. एस. मपवाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1281(अ) तारीख 27 जुलाई, 2007 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2413(अ) तारीख 22.09.2009 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2016

S.O. 2670(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1B) of section 139 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), issued *vide* S.O. 1281(E) dated the 27th July, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 27th July, 2007, namely:-

2. In the said notification, in para 5, in clause (1), for sub-clauses (c) and (d), the following sub-clauses shall be substituted, namely:-

“(c) a firm of Chartered Accountants or Company Secretaries or Cost Accountants or Advocates, if the firm has been allotted a permanent account number; or

(d) a Chartered Accountant or Company Secretary or Cost Accountant or Advocate or Tax Return Preparer, if he has been allotted a permanent account number; or”.

[Notification No. 66/2016/F. No.133/89/2015-TPL]

Dr. T. S. MAPWAL, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1281(E) dated the 27th July, 2007 and was last amended *vide* notification number S.O. 2413(E) dated 22.09.2009.